

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	गुलाराम बीरमाराम भागीदेवी / मगनाराम जाट, नुन्दाराम पुत्र धनाराम वगैरह जसराना	
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 101 / 2022 GCMS No. 2022/ 197		
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.06.2022	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 450 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंभा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्बन्धित खातेदारान सहमती पत्र प्रदान की है, परन्तु उपरोक्त प्रश्नगत भूमि मेगा हाईवे/रास्ते पर स्थित है जिसमें खातेदार के आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ता है तथा उपरोक्त भूमि उपरोक्त खातेदारान की संयुक्त रूप से दर्ज है तथा सहमति दी जाकर आरे रास्ता क्यों चाहा गया है स्पष्ट नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 क्रमांक/प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की श्रेणी में प्रकरण नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p>		